भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2546
16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में मछुआरों के लिए वित्तीय सहायता

2546. डॉ. सी. एम. रमेश **:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मछली पकड़ने पर लगा प्रतिबंध राहत कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं सहित मछुआरों के लिए वर्तमान और नई वित्तीय सहायता योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जीवनयापन और ईंधन की बढ़ती लागत को देखते हुए प्रतिबंध अवधि के दौरान प्रति मछुआरे सहायता की दर में वृद्धि की है;

(ग) आंध्र प्रदेश में ऐसी प्रत्येक योजना के अंतर्गत जिलेवार कितने लाभार्थी कवर किए गए हैं; और

(घ) क्या अतिरिक्त राहत या बीमा सहायता के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त कोई नया प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत 39 गतिविधियों के प्रस्तावों (32 लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों और सात गैर-लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों) के कार्यान्वयन के लिए कुल 2398.72 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति दी है जिसमें केंद्रीय शेयर 559.10 करोड़ रुपए है और वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य को 482.55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े, सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायता सहित आंध्र प्रदेश सरकार को PMMSY के अंतर्गत अनुमोदित गतिविधियों को अनुबंध-I में प्रस्तुत किया गया है। इन गतिविधियों का कार्यान्वयन 2024-25 और 2025-26 के दौरान जारी रखा गया है।

(ख) और (ग): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने PMMSY के अंतर्गत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान सालाना 1,23,000 मछुआरों को वित्तीय सहायता (सरकारी सहायता-3000.00 रुपए और लाभार्थी योगदान-1500.00 रुपए) प्रदान की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध राहत कार्यक्रम को 2025-26 में *"मत्स्यकारुलासेवलो"* के रूप में लागू किया गया था, जो PMMSY के अंतर्गत आजीविका और पोषण सहायता गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। 25 अप्रैल 2025 के G.O.Ms. सं 12 के अनुसार; आंध्र प्रदेश सरकार ने ईंधन की बढ़ती लागत और जीवन यापन की समग्र लागत को देखते हुए प्रतिबंध अवधि के दौरान प्रति मछुआरे की सहायता की दर में वृद्धि की। सहायता को बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है, जिसमें समुद्र में जाने वाले सभी पात्र मछुआरे शामिल हैं। जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया है, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान आजीविका और पोषण सहायता गतिविधियों के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की जिला-वार संख्या अनुबंध II में प्रस्तुत है।

(घ): अतिरिक्त राहत या बीमा सहायता के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अनुबंध-I

आंध्र प्रदेश में मछुआरों के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2546 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण- विगत पांच वर्षों के दौरान PMMSY के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को स्वीकृत गतिविधियां।

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	**गतिविधि का नाम**	**इकाई**	**वास्तविक इकाई**	**परियोजना लागत**	**केन्द्रीय शेयर**
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**	(vi)
1	मीठे पानी की फिनफिश हैचरी	संख्या	5.00	125.00	36.00
2	खारे पानी की हैचरी	संख्या	10.00	500.00	150.00
3	मीठे पानी वाले क्षेत्र के लिए बायोफ्लोक तालाब बनाना	हेक्टेयर	47.00	658.00	186.48
4	खारे पानी वाले क्षेत्र के लिए बायोफ्लोक तालाब बनाना	हेक्टेयर	50.00	900.00	265.68
5	जलाशयों में फिंगरलिंग की 1000FL/ha की दर से स्टॉकिंग	हेक्टेयर	1914.00	5742.00	1641.00
6	ओपन सी में केज स्थापना	संख्या	800.00	4000.00	1084.80
7	सी वीड कल्चर राफ्ट जिसमें इनपुट भी शामिल हैं	संख्या	26000.00	390.00	115.20
8	मोनोलाइन/ट्यूब नेट विधि से सीवीड कल्चर की स्थापना जिसमें इनपुट शामिल हैं	संख्या	41200.00	3296.00	902.40
9	बाइवाल्व कल्चर (मसल्स, क्लैम्स, पर्ल आदि)		50.00	10.00	3.00
10	बड़े RAS की स्थापना (कम से कम 90 मी3/टैंक कैपेसिटी 40 टन/क्रॉप के 8 टैंक के साथ)	संख्या	34.00	1700.00	480.00
11	मीडियम RAS की स्थापना (कम से कम 30मी3/टैंक कैपेसिटी 10 टन/क्रॉप के 6 टैंक के साथ)	संख्या	10.00	250.00	72.00
12	बैकयार्ड मिनी-RAS यूनिट की स्थापना	संख्या	20.00	10.00	3.12
13	रिज़वॉयर में केज स्थापना	संख्या	300.00	900.00	254.16
14	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का निर्माण (10 टन/दिन)	संख्या	10.00	400.00	115.20
15	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का निर्माण (20 टन/दिन)	संख्या	1.00	80.00	19.20
16	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का निर्माण (30 टन/दिन)	संख्या	1.00	120.00	43.20
17	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का निर्माण (50 टन/दिन)	संख्या	4.00	600.00	162.00
18	इंसुलेटेड वहान	संख्या	200.00	4000.00	1152.00
19	लाइव फिश वेंडिंग सेंटर	संख्या	245.00	4900.00	1408.80
20	आइस बॉक्स वाली मोटर साइकिल	संख्या	800.00	600.00	172.80
21	आइस बॉक्स वाला थ्री-व्हीलर जिसमें फिश वेंडिंग के लिए ई-रिक्शा भी शामिल हैं	संख्या	400.00	1200.00	345.60
22	फिश फ़ीड प्लांट्स (बड़े)	संख्या	5.00	1450.00	450.00
23	फिश रिटेल मार्केट, जिसमें ओर्नामेंटल फिश/एक्वेरियम मार्केट शामिल हैं।	संख्या	150.00	12000.00	3288.00
24	फिश कियोस्क, जिसमें एक्वेरियम/ओर्नामेंटल फिश के कियोस्क शामिल हैं।	संख्या	4615.00	14263.75	3992.73
25	फिश वैल्यू एड एंटरप्राइजेज यूनिट्स	संख्या	25.00	1250.00	360.00
26	मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद की ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफॉर्म	संख्या	1.00	100.00	24.00

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	इकाई	वास्तविक इकाई	परियोजना लागत	केन्द्रीय शेयर
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**	(vi)
27	पारंपरिक मछुआरों के लिए डीप-सी फिशिंग वेसेल्स खरीदने में सहायता	संख्या	50.00	6000.00	1526.40
28	मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसेल्स में बायो-टॉयलेट स्थापना	संख्या	1300.00	650.00	159.60
29	रोग निदान और क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स	संख्या	2.00	50.00	15.00
30	रोग निदान और क्वालिटी टेस्टिंग मोबाइल लैब्स/क्लिनिक्स	संख्या	8.00	280.00	79.80
31	पारंपरिक और मोटराइज्ड जैसे VHF/DAT/NAVIC/ट्रांसपोंडर आदि के लिए कम्युनिकेशन और/या ट्रैकिंग डिवाइस।	संख्या	10000.00	3500.00	892.08
32	पारंपरिक मछुआरों के लिए बोट्स (रिप्लेसमेंट) और नेट्स प्रदान करना	संख्या	2191.00	10955.00	2659.20
33	मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े, सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता।	संख्या	123000.00	19922.4	6640.80
34	ब्रूड बैंक की स्थापना	संख्या	1.00	500.00	300.00
35	इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क	संख्या	1.00	8808.00	5285.00
36	फिशिंग हार्बर स्थापना	संख्या	3.00	113720.00	12000.00
37	आधुनिक इंटीग्रेटेड फिश लैंडिंग सेंटर	संख्या	6.00	12691.32	7614.79
38	कर्नाटक के तट पर आर्टिफिशियल रीफ की स्थापना	संख्या	22.00	770.00	462.00
39	बहुउद्देशीय सहायता सेवाएँ - सागरमित्र	संख्या	600.00	2581.20	1548.72
	कुल			**239872.67**	**55910.76**

****

अनुबंध-II

आंध्र प्रदेश में मछुआरों के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2546 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण- मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि के दौरान आजीविका और पोषण संबंधी सहायता गतिविधियों के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की जिला-वार संख्या।

क्र.सं.	**जिला**	**वर्ष 2025-26 के लिए लाभार्थियों की संख्या**
1	अनकपल्ली	12048
2	बापटला	11535
3	कोनासीमा	10586
4	काकीनाडा	23598
5	कृष्णा	12352
6	प्रकाशम	5118
7	नेल्लोर	11449
8	श्रीकाकुलम	14517
9	तिरुपति	3808
10	विशाखापट्टनम	11162
11	विज़ियानगरम	3547
12	वेस्ट गोदावरी	1713
	कुल योग	**121433**

****